

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1579 / 2010 / भीलवाड़ा.

मैसर्स बी. एल. चौधरी एण्ड कम्पनी, गाडरमाला, भीलवाड़ा. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/7/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 162/आरएसटी/08-09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.9.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने कर निर्धारण वर्ष 2005-06 में उनके द्वारा संपादित संविदा कार्यों में अधिनियम की धारा 15 के तहत अवार्डर के साथ हस्ताक्षरित अण्डरटेकिंग में सकल संविदा राशि में से मजदूरी अंश 25% कम कर शेष पर करमुक्ति राशि जमा कराई। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण में पूर्ण संविदा कार्य राशि पर करमुक्ति शुल्क 1.5% से रूपये 35,207/- आरोपित की। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने को चुनौती देते हुए मजदूरी राशि पर आरोपित करमुक्ति शुल्क रूपये 8800/- को विवादित किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफडी/ग्रुप-IV/95-75 दिनांक 27.3.1995 में संविदा कार्य में निष्पादित माल को करमुक्त करते हुए संविदा कार्य से प्राप्त कुल राशि पर अनुसूची के अनुसार करमुक्त शुल्क निर्धारित किया है। अग्रिम कथन किया कि धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार संविदा कार्य में निष्पादित माल को करमुक्त किया गया है। अतः संविदा कार्य में निष्पादित माल पर ही करमुक्त शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्च जिन पर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत करमुक्त शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता। तर्क के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के (1999) 114 एस.टी.सी. 265 मैसर्स गाउण्डर एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य का अंश उद्धरित किया है -

"In my opinion, keeping in view the law laid down by the Supreme Court, it is not open for the Revenue to contend that the expression "total turnover" relating to transfer of property as appearing in section 17(6) of the Act should be read as "total turnover" relating to the value of the works contract. Such an interpretation cannot be given by applying any known and established rule of construction of statutes. Accordingly, it is held that the petitioners are liable to pay tax at the rate of 2 per cent on the total turnover relating to transfer of property in goods (whether as goods or any other form) involved in execution of the works contract undertaken by them and not on the entire value of such contract."

उनका कथन है कि उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुल संविदा प्राप्तियों में से 25% की मजदूरी राशि पर कर देयता नहीं बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.3.1995 में कुल संविदा राशि पर करमुक्त शुल्क की दर निर्धारित की है। कुल संविदा राशि को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन अधिनियम की धारा 2(44) के अन्तर्गत आवर्त (Turnover) को परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यवहारी के विक्रय के लिये प्राप्त या प्राप्ति योग्य समग्र राशि को बताया गया है तथा धारा 2(38) के अन्तर्गत विक्रय व धारा 2(42) में कर योग्य आवर्त को परिभाषित किया गया है। राजस्थान विक्रय कर नियम के नियम 25(3) के अन्तर्गत संविदा कार्य में करयोग्य आवर्त को निर्धारित करने के लिये संविदा कार्य में निष्पादन में मजदूरी



लगातार.....3

राशि को कुल आवर्त में से घटाने का प्रावधान है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 नियम 22(2) के अन्तर्गत भी मजदूरी राशि आवर्त का भाग नहीं है। इसलिए निवेदन किया है कि ई.सी. से सम्बन्धित आवर्त में से मजदूरी की राशि 25% को कम किया जाकर इस पर आरोपित मुक्ति शुल्क को अपास्त किया जावे।


प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की उक्त संदर्भित अधिसूचना के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से कर निर्धारण की सुविधा हेतु संविदा राशि प्राप्तियों को करमुक्ति शुल्क का आधार विहित किया गया है, जिसके अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदा कार्य प्राप्तियों पर करमुक्ति शुल्क आरोपित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अग्रिम कथन किया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय को कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के सन्दर्भ में ही माना जा सकता है। उक्त आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली व विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों द्वारा कार्य संविदा में प्रयुक्त माल पर करारोपण हेतु अधिनियम की धारा 4 के तहत विहित कर दर अनुसार नियमित कर निर्धारण किया जा सकता है, जिसमें मजदूरी राशि पर कोई कर देयता नहीं आती है। विकल्प रूप में राज्य सरकार ने आलौच्य अवधि के लिये प्रभावी अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टैक्स-डिवी./2001-25 दिनांक 29.3.2001 अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी की है, जो इस प्रकार है :-

**S.No. 1282 : F.4(12)FD/Tax-Div/2001-25 dt. 29.03.2001**

S.No. 406 :- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act, No. 22 of 1995), and in supersession of all the earlier notifications issued in respect of the works contract enumerated in the List given below, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from tax the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of Works Contract as mentioned in the said LIST given below on the following conditions, namely :-

1. That the Contractor claiming exemption shall have to get entered in the contract a specific clause to the effect that he is opting for automatic exemption fee or in the alternate shall furnish the undertaking in accordance with rule 12(2);

 लगातार.....4

2. That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Cloumn 3 of the LIST given below;
3. That the contractor shall not be entitled to use declaration forms to purchases goods at concessional rate of tax or without paying tax for being used in the execution of such contract;
4. That where the contractor uses declaration forms in purchasing any goods in violation of condition No. 3, apart from paying exemption fee under this notification, he shall be liable to pay tax on the said purchases at the rate notified under section 4, with interest thereon. However, if he has paid any tax at the time of such purchases, tax so paid shall be allowed as set-off against the tax payable by him; and
5. The all the provisions of rule 12, Rajasthan Sales Tax Rules, 1995, shall mutatis mutandis apply on such contractors.

**LIST**

S. No.	Description of Works Contract	Rate of Auto-matic Exemption Fee % of the total value of the contract
1.	Works Contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.5%
2.	Works contract relating to Installation of plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
3.	Any other kind of works contract not covered by S.No. 1 & 2.	3%


अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि में कुछ ठेकों के लिये उक्त अधिसूचना के तहत स्वतः करमुक्ति शुल्क जमा कराने हेतु अवार्डर के साथ अन्डरटेकिंग हस्ताक्षरित कर रखा है, जिसके आधार पर कुल संविदा प्राप्तियों पर कर निर्धारण अधिकारी ने करमुक्ति निर्धारित कर, कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी उसकी पुष्टि कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय (1999) 114 एस.टी.सी. 265 को उद्धरित किया है, जिसे कर्नाटक बिक्री कर नियमों के सन्दर्भ में ही माना जा सकता है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम व नियमों के तहत संविदा कार्यों में प्रयुक्त माल पर करारोपण व ठेका राशि की प्राप्तियों पर वैकल्पिक व्याख्या को अविधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैकल्पिक स्वतः करमुक्ति शुल्क चुकाने पर नियमित कर निर्धारण की जांच आदि से बचा जा सकता है। उक्त अधिसूचना के तहत करमुक्ति शुल्क सकल प्राप्तियों के प्रतिशत के आधार पर देय है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की अपीलीय अधिकारी ने पुष्टि कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

लगातार.....5

उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
15/7/17